N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0339 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/12/2025 12:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 01/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 01/09/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 19:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/12/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/12/2025 12:02:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** TEHASIL KARYALAY PARISAR, CHHABRA JILA BARAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVENDRA MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** OMPRAKASH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GODIYA CHARAN, CHHABRA, BAPCHA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GODIYA CHARAN, CHHABRA, BAPCHA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHETAN RAM		पिता:KALARAM	1. KHARIYA DER BIJRAD,CHOHTAN,BARMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	-	1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 1,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न:, यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2025 को समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी गोडिया चारण तहसील छबड़ा जिला बारां मोबाईल नंबर ने ब्यूरो कार्यालय बारां में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटो प्रति के श्री कालू राम वर्मा अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मैं प्रार्थी देवेन्द्र मीणा पुत्र ओमप्रकाश जाति मीणा उम्र 25 वर्ष ग्राम गोडिया चारण तहसील छबडा जिला बारां का निवासी हूं। हमारे घर के पास पानाचन्द्र पुत्र रामचरण मीणा का घर है। जिसमें लोग जुआ, सट्टा खेलते है। जिसकी शिकायत मैंने पुलिस कन्ट्रोल रूम बारां की थी। जिस पर बापचा थाने की पुलिस हमारे घर से मेरे भाईयों को उठाकर ले गई और रातभर उनके साथ मार-पीट की और अब उन्हें छबड़ा कोर्ट में पेश करने, उन्हें जे.सी. नहीं करवाने एवं मेरे विरूद्व मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले बापचा थाने के श्री चेतनराम सिपाही 1000 रूपये मांग रहा है। मैं उसे रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उक्त सिपाही से कोई रंजिश एवं पैसों का उधार लेन देन बकाया नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपया करें। " परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आना पाये जाने से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा की मुलाकात मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां से करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात मन प्रेमचंद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत में अंकित तथ्यों एवं पूछताछ अनुसार परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा को आरोपी चेतनराम कानि. पुलिस थाना बापचा के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर समय 01.45 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिनेश कुमार कानि. 360 को बुलाकर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा से आपसी परिचय करवाया तथा मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाकर चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया बताई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर श्री दिनेश कुमार कानि 360 को सुपुर्द कर स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुऐ रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी रखने की हिदायत कर गोपनीय सत्यापन हेतु मय परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के बापचा के लिए रवाना होने हेतु निर्देशित किया। जिस पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा ने बताया कि श्रीमान थाना बापचा के श्री चेतनराम सिपाही व अन्य स्टाफ मेरे भाईयों को छबड़ा कोर्ट में पेश करेंगे और वहीं पर मेरे से रिश्वत राशि लेने के संबंध में वार्ता कर मौके पर ही रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। श्री दिनेश कुमार कानि. को सरकारी डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जाकर फर्द सुपर्दगी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुर्तिब की गई। समय 3.15 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि. मय डीवीआर के रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के साथ कस्बा छबड़ा के लिए रवाना किया गया। समय 11.30 पीएम पर श्री दिनेश कानि0 360 मय डीवीआर के उपस्थित कार्यालय आया। श्री दिनेश कानि0 360 ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मैं व परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय करीब 6.00 पीएम पर छबडा़ पहुंचे तथा परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा ने समय करीब 06.45 पीएम पर अपने मोबाईल नंबर से उसके छोटे भाई रामराज के मोबाईल नंबर पर कॉल कर उसके पिता श्री ओमप्रकाश जी से वार्ता कर मालुमात किया तो उन्होंने बताया कि अभी तो हम पुलिस थाना बापचा पर ही है, लगभग 7.30 बजे के आस पास तहसील कार्यालय छबड़ा पहुंचेंगे। आप तहसीलदार कार्यालय में ही मिलना। हम दोनों कुछ समय तहसील कार्यालय के सामने अपना छुपाव हासिल करते हुए इंतजार में खड़े हुए। इसके बाद समय करीब 7.27 पीएम पर मैंने परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु सुपुर्द कर आरोपी चेतनराम सिपाही पुलिस थाना बापचा जिला बारां के पास तहसीलदार कार्यालय छबड़ा के लिए रवाना किया तथा मैं आसपास छुपाव हासिल करते हुए निगरानी करने लगा। परिवादी मेरे पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय छबड़ा के अन्दर चला गया। उसके बाद परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा करीब 08.15 पीएम पर वापस मेरे पास आया जिसने डीवीआर बन्द करके मुझे सुपुर्द किया तथा

बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसीलदार कार्यालय छबड़ा में पहुचा जहां पर श्री चेतनराम सिपाही एवं थाने का अन्य स्टाफ मिला। श्री चेतनराम सिपाही से मैंने मेरे भाईयों को कोर्ट में पेश करने, जे.सी. नहीं करवाने एवं मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बारे में निवेदन किया तो श्री चेतनराम सिपाही पुलिस थाना बापचा ने मेरे से एक हजार रूपये रिश्वत की मांग कर उसी समय देने हेतु कहा। जिस पर मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको कल दे दूंगा। उसके बाद चेतनराम सिपाही ने मेरा मोबाईल फोन लेकर उसकी कॉल लॉग चैक किया जिसमें एसीबी का टॉल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1064 डायल हो रखा था। जिसके बारे में उसने मेरे से पूछा कि ये नंबर किसका है तो मैंने बताया कि ये तो साईबर वालों के नंबर है। इसके बाद चेतनराम सिपाही ने कहा कि तू मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और मेरे पास से चला गया। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आया हूं। श्री चेतनराम सिपाही ने मेरे से मेरे भाईयों को तहसीलदार छबडा के समक्ष पेश करने एवं जे.सी. नहीं करवाने एवं मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले एक हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है जिसे मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद मैंने परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डीवीआर जिसमें परिवादी द्वारा मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड की गई थी, रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना तो उसमें एक हजार रूपये की रिश्वत मांग करना पाया गया। इसके बाद मैंने आपकी फोन वार्ता परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा से करवाई थी तथा मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा को कस्बा छबड़ा में छोड़कर आपके पास आया हूं। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो उसमें दिनेश कानि. 360 के द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। इसके बाद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना में रखा गया। दिनांक 23.09.2025 समय 2.00 पीएम पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा उपस्थित कार्यालय आया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 01.09.2025 को मैं व श्री दिनेश कुमार आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय करीब 3.15 पीएम पर रवाना होकर समय लगभग 6.00 पीएम पर छबडा० पहुंचे थे तथा मैंने समय करीब 06.45 पीएम पर मेरे मोबाईल नंबर से मेरे छोटे भाई रामराज के मोबाईल नंबर पर कॉल कर मेरे पिता श्री ओमप्रकाश जी से वार्ता कर मालुमात किया तो उन्होंने बताया कि अभी तो हम पुलिस थाना बापचा पर ही है, लगभग 7.30 पीएम पर के आस पास तहसीलदार कार्यालय छबड़ा पहुंचेंगे, आप वहीं पर मिलना। इसके बाद समय करीब 7.27 पीएम पर आपके कार्यालय के श्री दिनेश कुमार कानि ने मुझे डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु सुपुर्द कर आरोपी चेतनराम सिपाही पुलिस थाना बापचा जिला बारां के पास तहसीलदार कार्यालय छबड़ा के लिए रवाना किया तथा वे आसपास छुपाव हासिल करते हुए निगरानी करने लगे। उसके बाद मैं समय करीब 08.15 पीएम पर श्री दिनेश जी के पास आया। जिन्हें मैंने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकॉर्डशुदा डीवीआर को बन्द कर श्री दिनेश कुमार जी को सुपुर्द किया तथा बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसीलदार कार्यालय छबड़ा में पहुचा जहां पर श्री चेतनराम सिपाही मिला जिससे मैंने मेरे भाईयों को कोर्ट में पेश करने, जे.सी. नहीं करवाने एवं मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बारे में निवेदन किया तो श्री चेतनराम सिपाही पुलिस थाना बापचा ने मेरे से एक हजार रूपये रिश्वत की मांग कर उसी समय देने हेतु कहा। जिस पर मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको कल दे दूंगा। उसके बाद चेतनराम सिपाही ने मेरा मोबाईल फोन लेकर उसकी कॉल लॉग चैक किया जिसमें एसीबी का टॉल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1064 डायल हो रखा था। जिसके बारे में उसने मेरे से पूछा कि ये नंबर किसका है तो मैंने बताया कि ये तो साईबर वालों के नंबर है। इसके बाद चेतनराम सिपाही ने कहा कि तू मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है और मेरे पास से चला गया। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर श्री दिनेश जी के पास आया तथा उसे बताया था कि श्री चेतनराम सिपाही ने मेरे से मेरे भाईयों को कोर्ट में पेश करने व जे.सी. नहीं करवाने एवं मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले एक हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है जिसे मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद श्री दिनेश कानि द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना तो उसमें एक हजार रूपये की रिश्वत मांग करना पाया गया था जिस पर श्री दिनेश कुमार ने आपको उसी समय मोबाईल पर वार्ता कर मांग सत्यापन के बारे में बताया था तथा मेरी भी वार्ता आपसे करवाई थी। उसके बाद आपके निर्देशानुसार मैं रात का समय हो जाने एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु मेरे गांव गोडिया चारण हेतु रवाना हो गया था एवं श्री दिनेश कानि बारां के लिए रवाना हो गये थे। इसके बाद परिवादी ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां के नाम इस आशय का पेश किया कि" मैंने दिनांक 01.09.2025 को एसीबी बारां में एक शिकायत पुलिस थाना बापचा में तैनात सिपाही चेतनराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथां पकड़वाने बाबत दी थी जिसका गोपनीय सत्यापन दिनांक 01.09.2025 को करवाया था। जिसमें आरोपी सिपाही चेतनराम द्वारा मेरे भाईयों को कोर्ट में पेश करने, जे.सी. नहीं करवाने एवं मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले एक हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की थी। मांग सत्यापन के दौरान श्री चेतनराम सिपाही ने मेरे मोबाईल का कॉल लॉग चैक कर लिया था जिसमें एसीबी के टॉल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1064 डायल हो रखा था। उक्त डायल नंबर 1064 को देखकर श्री चेतनराम सिपाही को षायद मेरे उपर शक हो गया, इसलिए वह अब मेरे से ना तो रिश्वत की मांग कर रहा है और ना ही अब प्राप्त करेगा, इसलिए मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही उक्त सिपाही के विरूद्ध नियमानुसार आगे की कार्यवाही करने की कृपा करें।"

परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा ने श्री प्रेमचंद मीणा उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि रिश्वत मांग सत्यापन के बाद मेरी लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं होने के कारण में अग्रिम कार्यवाही के संबंध में आपके पास नही आ सका। तत्पश्चात समय 03.00 पीएम पर परिवादी की शिकायतों पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्रांक 1066 दिनांक 23.09.2025 तैयार कर स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 530 को दिया जाकर कार्यालय आयुक्त नगर परिषद बारां रवाना किया गया जो समय 03.15 पीएम पर आयुक्त नगर परिषद बारां का पत्रांक 5710-13 दिनांक 23.09.2025 मय दो स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको मन प्रेमचन्द उप पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री जगदीश प्रसाद यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव जाति यादव उम्र 58 साल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां हाल वरिष्ठ सहायक नगर परिशद बारां मोबाईल नंबर और दूसरे ने अपना नाम श्री विजेन्द्र मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी रेल्वे फाटक के पास, उत्तम कॉलोनी, बारां हाल फायरमैन नगर परिषद बारां मोबाईल नंबर होना बताया। ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 23.09.2025 को ब्यूरो कार्यालय बारां में पेश किये गये प्रार्थना पत्रों को दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बारी-बारी पढ़वाया गया एवं ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने हेतु सहमति चाही तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर बतौर स्वतंत्र गवाह कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति देते हुए परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्रों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.20 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (KDM 8GB) में परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा एवं आरोपी श्री चेतनराम सिपाही पुलिस थाना बापचा के मध्य दिनांक 01.09.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड-थी। उक्त डीवीआर को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष लेपटॉप में लगाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री चेतनराम सिपाही तथा तीसरी आवाज श्री रणजीत सिपाही पुलिस थाना बापचा एवं दूसरी आवाजें अन्य व्यक्तियों की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता श्री दिनेश कानि0 360 से लेपटॉप से टाईप करवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में तैयार करवाई गई। समय 06.25 पीएम पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा एवं स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश प्रसाद यादव, श्री विजेन्द्र मीणा के समक्ष दिनांक 01.09.2025 को परिवादी देवेन्द्र मीणा व आरोपी चेतनराम सिपाही पुलिस थाना बापचा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नंबर 250901_1927 (46 Minut 28 Second) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड में सेव है को श्री दिनेश कुमार कानि0 360 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप की सहायता से 03 पेन ड्राईव KDM 8GB क्लोनिंग कर तैयार करवाये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड (KDM 8GB micro SDHC) में रिकॉर्ड की गई थी,-उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड एवं तैयारशुदा पेन ड्राईवों की हैश वैल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा सीलशुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। समय 07.00 पीएम पर कार्यालय की कार्यवाही के पश्चात् परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सकुशल रूखसत किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति मीणा उम्र-25 साल निवासी गोडिया चारण तहसील छबड़ा जिला बारां के भाईयों को बापचा थाना जिला बारां की पुलिस घर से थाने में ले गई। इसके बाद बापचा थाने का श्री चेतनराम कानि0 583 द्वारा परिवादी के भाईयों को तहसीलदार कोर्ट छबडा में पेश करने, उन्हे जे.सी. नहीं करवाने एवं परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले एक हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा दिनांक 01.09.2025 को ब्यूरो कार्यालय बारां में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटो प्रति के श्री कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया। परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस को निर्देश दिये गये। जिस पर अग्रिम कार्यवही करते हुये परिवादी की शिकायत पर दिनांक 01.09.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी श्री चेतनराम कानि0 583 द्वारा परिवादी के भाईयों को तहसीलदार कोर्ट छबडा में पेश कस्ने, जे.सी. नहीं करवाने एवं परिवादी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले एक हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई।

रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री चेतनराम कानि. 583 थाना बापचा जिला बारां ने परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा के मोबाईल का कॉल लॉग चैक किया तो परिवादी के मोबाईल के कॉल लॉग में एसीबी के टॉल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1064 डायल होना मिला। आरोपी चेतनराम कानि0 द्वारा एसीबी के टॉल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1064 को देखकर परिवादी देवेन्द्र मीणा के उपर शक हो गया, इसलिए आरोपी चेतनराम कानि0 ने परिवादी श्री देवेन्द्र मीणा से रिश्वत प्राप्त करने के संबंध सम्पर्क नहीं किया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 01.09.2025 की शिकायत पर कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान की गई 1000 रूपये की रिश्वत की मांग के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही करने-संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2025 को पेश करने पर स्वतंत्र गवाह तलब कर शेष कार्यवाही पूर्ण की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेन ड्राईव क्लोनिंग व समस्त कार्यवाही से आरोपी श्री चेतनराम कानि0 583 पुलिस थाना बापचा जिला बारां के विरूद्व 1000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है अतः आरोपी श्री चेतनराम कानिस्टेबल का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में पाया गया है। आरोपी श्री चेतन राम पुत्र श्री कलाराम जाति जाट उम्र 29 साल निवासी ग्राम खारिया डेर बीजराड़ तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कानिस्टेबल 583 थाना बापचा जिला बारां के विरूद्व रिश्वत मांग का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।(प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां...........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चेतन राम पुत्र श्री कलाराम, जाति जाट, उम्र 29 साल, निवासी ग्राम खारिया डेर बीजराड़, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर हाल कानिस्टेबल 583 थाना बापचा, जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पृथ्वीराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 362 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1917-20 दिनांक 23.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बांरा 2- पुलिस अधीक्षक, बांरा 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांरा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PRATHVIRAJ MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 2 2/2025

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)